प्रेस विज्ञप्ति

30-10-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29/10/2025 को इंदौर स्थित मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 1.14 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इससे पहले इस समूह के कई व्यक्तियों और संस्थाओं की 26.53 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

ईडी ने इस मामले में सीबीआई, एसी-IV, व्यापम, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके बाद, सीबीआई द्वारा मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड द्वारा नियंत्रित मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से साख पत्र (एलसी) और निर्यात पैकिंग क्रेडिट (ईपीसी) के माध्यम से लगभग 110.50 करोड़ रुपये का धोखाधड़ीपूर्ण ऋण प्राप्त किया। हालाँकि इन निधियों का उपयोग वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जाँच से पता चला कि वास्तव में कोई खरीद या निर्यात नहीं किया गया था। इसके बजाय, व्यावसायिक गतिविधियों का झूठा आभास पैदा करने के लिए निधियों को अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड की विभिन्न समूह संस्थाओं के माध्यम से चक्रीय लेनदेन के माध्यम से भेजा गया था। ऋण की राशि को बाद में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट लाभों के लिए डायवर्ट किया गया, जिसमें अचल संपत्तियों में निवेश और समूह द्वारा नियंत्रित संबंधित कंपनियों, फर्मों और बेनामी संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से नकद निकासी शामिल थी, जिससे डायवर्ट किए गए धन को छुपाया और उसका शोधन किया गया।

आगे की जाँच जारी है।